छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सी) संख्या 6915/2009

याचिकाकर्ता: मैसर्स पन्नालाल सुंदरलाल राठी

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
न्यायाधीश
23/2/2010

माननीय न्यायाधीश श्री आर. एन. चंद्राकर
मैं सहमत हूं

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24 फरवरी 2010 को आदेश के लिए सूचीबद्ध करें।

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर. जे जे

रिट याचिका (सिविल) 2009 का क्र.6915

याचिकाकर्ता: मैसर्स पन्नालाल सुंदरलाल राठी, द्वारा

इसके संचालक प्रदीप राठी,

उम्र लगभग 42 वर्ष, पुत्र स्व.श्री

सुंदरलाल राठी, जैन की दुकान,

मंदिर रोड, जगदलपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरदातागण: 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी.के.एस

भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

3. पुलिस उप महानिरीक्षक,

(योजना एवं प्रावधान) पुलिस

मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)

4. कमांडेंट, चौथी बटालियन,

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, माना, रायपुर (छ.ग.)

5. प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार, चतुर्

बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल,

माना, रायपुर (सीजी)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री आशीष सुराना, वकील: याचिकाकर्ता के लिए।

श्री विनय हरित, उप. महाधिवक्ता: राज्य/उत्तरवादियों के लिए

श्री एसके मिश्रा, पैनल अधिवक्ता के साथ

आदेश

(फ़रवरी, 2010 को पारित)

धीरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश, के अनुसार

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह याचिका अंतर्गत की है और निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुतोष के लिए प्रार्थना की है:

"i. यह माननीय न्यायालय उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.10.2009 (अनुलग्नक पी/11) को निरस्त करने की कृपा कर सकते है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"ii. माननीय न्यायालय प्रतिवादी अधिकारियों को दिनांक 23.9.2008 के समझौते का विधिवत पालन करने और उसका निर्वहन करने का निर्देश दे और याचिकाकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किए गए सामान या याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए वैकल्पिक सामान के संबंध में देय राशि का भुगतान उसी स्थिति में लौटाए, जैसी याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई है।"

2. संक्षेप में कहा गया है, प्रकरण के तथ्य यह हैं कि प्रत्येक वस्तु के सामने इंगित मात्रा में 38 वस्तुओं की क्रय के लिए जारी निविदा आमंत्रण सूचना (संक्षेप में "एनआईटी") दिनांक 28.5.2008 (अनुलग्नक पी/1) के उत्तर में, याचिकाकर्ता ने आवश्यक नमूनों के साथ एनआईटी की शर्तों के अनुसार 15 वस्तुओं के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अपने ज्ञापन दिनांक 27.8.2008 (अनुलग्नक पी/3) के अंतर्गत वस्तुओं के लिए क्रय आदेश जारी किया: (i) ऊनी अंतर्वस्त्र, 8364 नंबर @ रु. 85.75, (ii) ऊनी बनियान, 5736 नंबर @ रु. 75.00, और याचिकाकर्ता को आदेश निर्गमित होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ सशस्त्र सुरक्षा बल (सीएएफ) की चौथी बटालियन के केंद्रीय भण्डार, माना, रायपुर में विनिर्देशों के अनुसार अनुमोदित वस्तुओं की पूरी मात्रा की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। क्रय आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वस्तुओं की आपूर्ति देरी से की जाती है, तो शास्ति लगाया जाएगा जैसा कि क्रय आदेश के पैरा-3 में दर्शाया गया है।

3. आपूर्ति आदेश के साथ संलग्न अनुबंध पी/4 के प्रारूप में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी अधिकारियों के बीच 29.9.2008 को एक समझौता निष्पादित किया गया था। आपूर्ति आदेश के अनुसार उत्तरदाताओं को सामान की आपूर्ति की गई थी और इसे अनुलग्नक पी/5 के रूप में संचयी रूप से दर्ज की गई रसीदों के माध्यम से उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा प्राप्त किया गया था। यद्यपि , थोड़े समय के लिए, उत्तरदाता आपूर्ति स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि सीएएफ के केंद्रीय भण्डार में आग लग गई थी, परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं को आपूर्ति करने के लिए लाया गया सामान रेलवे परिवहन में अटक गया। याचिकाकर्ता ने मेमो दिनांक 16 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी/6) के माध्यम से उत्तरवादी क्रामंक 3 से अनुरोध किया कि वह सामग्री की आपूर्ति कहां की जा सकती है, इसके लिए उपयुक्त निर्देश जारी करें, ताकि याचिकाकर्ता को घाट स्थान भाडा और विलंब शुल्क का बोझ न उठाना पड़े

4. याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 3 ने अपने ज्ञापन दिनांक 13/14 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी/7) के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए ऊनी बनियान के 3000 टुकड़ों के लिए एक शासकीय अभिकरण से जारी गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बुलाया था, ताकि उठाए गए बिल के विरूद्ध भुगतान किया जा सके। याचिकाकर्ता ने दिनांक 3.4.2009 (अनुलग्नक पी/8) के उत्तर में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किया गया सामान अनुमोदित नमूने के अनुसार था और इसलिए। माल का नमूना स्वीकृत करने के बाद गुणवत्ता प्रमाणपत्र की मांग का कोई औचित्य नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने ऊनी अंतर्वस्त्र और बनियान के तीन-तीन टुकड़े की मांग की, ताकि वह गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। इस पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता ने 1,15,000/- रुपये की सुरक्षा जमा राशि जारी करने और बिल का भुगतान करने का भी अनुरोध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. हालाँकि, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अपने नोटिस दिनांक 10.8.2009 (अनुलग्नक पी/9) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए ऊनी अंतर्वस्त्र और ऊनी बनियान, आपूर्ति आदेश दिनांक 27.8.2008 के अनुसार, कपड़ा समिति, नागपुर को गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए थे और प्रयोगशाला परीक्षण में, दोनों वस्तुओं में शून्य प्रतिशत ऊन पाया गया था। इस प्रकार, परीक्षण परिणाम याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा छल की पुष्टि करता है, और याचिकाकर्ता-फर्म का आचरण आपूर्ति आदेश और समझौते की शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन है। याचिकाकर्ता को यह बताने के लिए बुलाया गया था कि क्यों न खंड 15 के अनुसार अनुबंध समाप्त कर दिया जाए और खंड 16 के अनुसार सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाए। यह भी विचार किया गया कि किसी अन्य अभिकरण से दोनों वस्तुओं को क्रय करने में विभाग द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त व्यय को समझौते के खंड 15 के अनुसार याचिकाकर्ता की फर्म से क्यों वसूला नंही जा सकता है।

6. याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर (अनुलग्नक पी/10) में आरोपों का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किया गया सामान ऊनी अंतर्वस्त्र के अनुमोदित नमूने 'बी' और ऊनी बनियान के अनुमोदित नमूने 'ए' आईएएस/3330/1978 के अनुसार था। न तो याचिकाकर्ता को कभी बताया गया कि कौन सा सामान गुणवत्ता जांच के लिए भेजा जा रहा है और न ही उन्हें टेक्सटाइल कमेटी की रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है. इन परिस्थितियों में, समिति की कथित रिपोर्ट याचिकाकर्ता को अपना प्रकरण रखने का अवसर दिए बिना प्राप्त की गई है और इसलिए, कथित प्रतिवेदन याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी नहीं है और याचिकाकर्ता-फर्म ने समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

7. हालाँकि, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अपने आदेश दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 (अनुलग्नक पी/11) के अंतर्गत आपूर्ति आदेश दिनांक 27.8.2008 को निरस्त कर दिया, दिनांक 23.9.2008 के समझौते को समाप्त कर दिया और समझौते के खंड 16 के अनुसार सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली, और आगे निर्देश दिया कि किसी अन्य फर्म से उपरोक्त दो वस्तुओं की क्रय की स्थिति में, खरीद में खर्च की गई अतिरिक्त राशि याचिकाकर्ता से वसूली की जाएगी। और याचिकाकर्ता-फर्म को आदेश जारी होने की तारीख से पांच साल के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की काली सूची में शामिल किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एनआईटी की शर्त संख्या 18 के अनुसार, भाग लेने वाली फर्मों को आपूर्ति के लिए प्रस्तावित प्रत्येक श्रेणी के लेखों के नमूने प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। नमूनों और तकनीकी बोली का मूल्यांकन एक तकनीकी समिति द्वारा जांच की जानी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पुलिस विभाग के स्वरुप/मानक के अनुरूप है या नहीं। केवल उन्हीं फर्मों की वित्तीय बोलियों के लिफाफे खोले जाने थे जिनके नमूने एवं तकनीकी बोलियाँ एनआईटी की धारा 19 के अनुसार विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित हों। चूंकि अनुलग्नक पी/1 के सरल क्रमांक 24 और 25 में वर्णित ऊनी अंतर्वस्त्र और ऊनी बनियान के नमूने उपयुक्त पाए गए और निर्दिष्ट मानक के अनुसार, आपूर्ति आदेश अनुलग्नक पी/3 के माध्यम से जारी किया गया था, जो आपूर्ति आदेश के अवलोकन से ही स्पष्ट है।

9. आगे यह तर्क दिया गया है कि समझौते के खंड 3 में यह भी परिकल्पना की गई है कि समझौते के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं या सामग्री निविदा के साथ भेजे गए नमूने के मूल्य स्वरुप के अनुरूप होनी चाहिए, जैसे कि क्रेता ने स्वीकृती दे दी है। एनआईटी के नियमों और शर्तों या समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। आदेश के अनुसार सामान की पूरी मात्रा, याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत आपूर्ति की गई थी और इसे प्रतिवादी नंबर 5 ने बिना किसी आपत्ति या विरोध के स्वीकार कर लिया था, और आपूर्ति किए गए सामान की गुणवत्ता उत्तरदाताओं द्वारा अनुमोदित नमूनों के अनुरूप थी। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को परीक्षण कराने के लिए ऊनी अंतर्वस्त्र और बनियान के तीन टुकड़े उपलब्ध नहीं कराए, जैसा कि पत्र दिनांक 3.4.2009

(अनुलग्नक पी/8) द्वारा मांग की गई थी। उन्होंने सूचना का उत्तर देने की भी चिंता नहीं की और आक्षेपित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को पुलिस विभाग में पांच साल के लिए कालीसूची में भी डाल दिया गया है,यद्यपि काली-सूची में डालने से पहले, काली-सूची में डाले जाने के पूर्व याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रघुनाथ ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में (1989) 1 SCC 229 में और इस कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने WP(c) No.7077/07 में 11 अप्रैल, 2008 को पारित आदेश में सतीश कुमार अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड के मामले में माना है, यह आवश्यक है।जब याचिकाकर्ता का सामान इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि वह विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था, तो ऐसी स्थिति में, उत्तरवादियों का यह कर्तव्य था कि वे याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किया गया पूरा सामान वापस कर दें।

10. उत्तरदाताओं ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि तत्काल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि समझौते में मध्यस्थता खंड होने पर याचिकाकर्ता के पास मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने का एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय है। उत्तरदाताओं ने, अपने जवाब के पैरा 14 और 15 में, इन दावों का खंडन किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए कपड़ों के नमूने अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए थे, और यह कहा गया है कि केवल याचिकाकर्ता की घोषणा पर ही इसे सही माना गया था। इस दावे पर विवाद न करते हुए कि पूरी आपूर्ति याचिकाकर्ता द्वारा की गई थी, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किया गया सामान आपूर्ति आदेश में दर्ज विनिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, संबंधित पक्षों की दलीलों और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

12. किट सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा की शर्तों से, जो एनआईटी (अनुलग्नक पी/1) और आपूर्ति/खरीद आदेश (अनुलग्नक पी/3) का हिस्सा है, यह स्पष्ट है कि:

i. एनआईटी के खंड 18 के अनुसार, बोली में भाग लेने वाली फर्मों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के स्वरुप प्रस्तुत करने थे। केवल तीन श्रेणियों के स्वरुप स्वीकार्य थे, और प्रत्येक श्रेणी के स्वरुप के लिए अलग-अलग सुरक्षानिधि जमा की जानी थी, और यह अतिरिक्त आवश्यकता थी कि प्रत्येक श्रेणी के दो नमूने जमा किए जाने थे,

ii. एनआईटी के खंड 19 के अनुसार, तकनीकी बोली और नमूनों का मूल्यांकन विभाग की तकनीकी समिति द्वारा किया जाना था। केवल उन्हीं बोली दाताओं की वित्तीय बोली खोली जानी थी जिनकी तकनीकी बोली/नमूना पुलिस विभाग के स्वरुप /मानक के अनुरूप हो। अन्य नमूने, जो तकनीकी पहलू पर खरे नहीं उतरते, उन्हें वापस कर दिया जाना था।

(iii) एनआईटी के खंड 20 के अनुसार, निविदाकारों को प्रत्येक वस्तुओं के लिए अलग निविदा प्रपत्र जमा करना था।

(iv) आपूर्ति/खरीद आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि नमूना, दर, विनिर्देश और मात्रा के अनुमोदन के बाद निम्नलिखित वस्तुओं के लिए क्रय आदेश जारी किया जाता है। इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि ऊनी परिधानों का नमूना 'बी' और ऊनी बनियान का नमूना 'ए' अनुमोदित किया गया है।

(v) क्रय आदेश के खंड 6 में विशेष रूप से उल्लेख है कि यदि फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया माल नमूने के अनुरूप नहीं है या यदि माल निरीक्षण समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, तो उस स्थिति में, सामग्री की पुनः आपूर्ति और अस्वीकृत माल के लिए परिवहन शुल्क पुलिस विभाग द्वारा अलग से देय नहीं होगा और यह उत्तरदायित्व फर्म की होगी।

(vi) पक्षों के बीच किये गये समझौते के प्रारूप (अनुलग्नक पी 74) के खंड 3 में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस समझौते के तहत आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं या सामग्री हर तरह से गुणवत्ता या प्रकार की अच्छी चीजों से बनी होनी चाहिए और निविदा के साथ भेजे गए नमूनों के मूल्य स्वरुप के लिए समान और उत्तदाइत्व होनी चाहिए जैसे कि क्रेता ने स्वीकृति दे दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, उपरोक्त शर्तों के अवलोकन से, हम पाते हैं कि निविदा शर्तों या समझौते में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि स्कंध के आपूर्तिकर्ता को किसी शासकीय अभिकरण से कोई गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक श्रेणी के सामान के दो नमूने प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। किसी भी श्रेणी के सामान की वित्तीय बोली तभी खोली जा सकेगी जब आपूर्ति के लिए प्रस्तावित नमूनों की गुणवत्ता विभाग की तकनीकी समिति द्वारा जांच के बाद पुलिस विभाग के स्वरुप/मानकों के अनुरूप हो।

एनआईटी में इन शर्तों और उत्तरदाताओं के प्रतिउत्तरीय शपथपत्र में विशिष्ट कथनों को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता-आपूर्तिकर्ता की घोषणा मात्र पर किसी भी अधिकारी द्वारा नमूनों की स्वीकृति के बिना नमूने स्वीकार कर लिए गए थे और कपड़ा समिति, नागपुर द्वारा प्रयोगशाला में आपूर्ति किए गए सामान की गुणवत्ता की जांच करने पर, यह पाया गया कि दोनों वस्तुओं में ऊन का प्रतिशत शून्य था, मामले में एक विवेकपूर्ण जांच की आवश्यकता है।

14. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि खुले आसमान के नीचे अत्यधिक मौसम की स्थिति में विधि और व्यवस्था के कर्तव्यों में लगे पुलिस विभाग के कांस्टेबलों को दी जाने वाली वर्दी खरीदने के लिए तत्काल खरीद प्रक्रिया शुरू की गई थी। गुणवत्ता की जांच किए बिना, जैसा कि निविदा शर्तों में परिकल्पना की गई है, गुणवत्ता के संबंध में आपूर्तिकर्ता की घोषणा पर ही खरीद/आपूर्ति आदेश जारी करके, खरीद में शामिल अधिकारियों ने स्कंध की गुणवत्ता के साथ गंभीर समझौता किया है। राज्य के पुलिस सशस्त्र बलों के आरक्षकों को शून्य प्रतिशत ऊन सामग्री वाले ऊनी वस्त्रों और बनियान की आपूर्ति से निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य और दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

15. निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता ने ज्ञापन दिनांक 28.2.2009 (अनुलग्नक पी/7) के उत्तर में अनुलग्नक पी/8 दिनांक 3.4.2009 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 5 से अनुरोध किया कि वह उसे ऊनी वस्त्रों के तीन टुकड़े और ऊनी बनियान के तीन टुकड़े प्रदान करें, ताकि वह इसकी जांच करा सके और गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। हालाँकि, याचिकाकर्ता के उपरोक्त अनुरोध पर विचार किए बिना, अनुलग्नक पी/9 का कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, अनुलग्नक पी/10 के याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार किए बिना, अनुलग्नक पी/11 का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है। कपड़ा समिति (कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार), नागपुर द्वारा माल की गुणवत्ता की जांच कराने की पूरी कवायद याचिकाकर्ता के पीठ पीछे उन्हें कोई सूचना दिए बिना की गई है। कपड़ा समिति की कथित रिपोर्ट, जिसके आधार पर अनुबंध पी/11 का विवादित आदेश पारित किया गया है, न तो याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई गई है और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उत्तरदाताओं ने आपूर्ति आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए पूरे स्कंध के साथ क्या किया, क्योंकि उसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि उनमें शून्य प्रतिशत ऊन था। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि अस्वीकृति के बाद सामान उसे कभी वापस नहीं किया गया और उत्तरदाताओं द्वारा इस आरोप का खंडन नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं की ओर से याचिकाकर्ता को स्कंध वापस करना अनिवार्य था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. हमें याचिकाकर्ता के तर्कों में भी बल मिलता है कि याचिकाकर्ता को इस संबंध में सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पुलिस विभाग से पांच साल की अवधि के लिए कालीसूची में डाल दिया गया था क्योंकि कारण बताओ नोटिस में कालीसूची में डालने का कोई उल्लेख नहीं है।

17. यह स्थापित कानून है, जैसा कि रघुनाथ ठाकुर (पुर्वोक्त) में और इस न्यायालय द्वारा सतीश कुमार अग्रवाल (पुर्वोक्त) में माना गया है कि व्यावसायिक उद्यमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कालीसूची-बद्ध करने से संबंधित व्यक्ति के भविष्य के व्यवसाय पर नागरिक परिणाम होंगे। किसी भी घटना में, भले ही नियम ऐसा व्यक्त न करें, यह प्राकृतिक न्याय का प्राथमिक सिद्धांत है कि किसी भी आदेश से प्रभावित पक्षों को सुनने और आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन देने का अधिकार होना चाहिए।

18. जहां तक याचिका की पोषणीयता के संबंध में उत्तरदाताओं की आपत्ति का सवाल है, यह स्थापित कानून है कि वैकल्पिक उपाय विवेक का नियम है, न कि कानून का नियम और याचिकाकर्ता के लिए वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में याचिका पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम मानते हैं कि मध्यस्थता के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर याचिका को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

19. परिणामस्वरूप, याचिका का निपटारा निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है:

(i) दिनांक 7 अक्टूबर 2009 का आदेश (अनुलग्नक पी/11) निरस्त किया जाता है।

(ii) उत्तरवादी क्रमांक 1 को राज्य के किसी वरिष्ठ अधिकारी, जो पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, के माध्यम से मामले में विवेकपूर्ण जांच का आदेश देने का निर्देश दिया जाता है;

(iii) जांच इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए, और उसके बाद जांच रिपोर्ट के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट की प्रति तुरंत इस न्यायालय के महापंजीयक को भी भेजी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक: अधिवक्ता, अंकिता श्रीवास्तव.